दिनांक–15.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के पटना प्रमंडल के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग
   - श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव, पंचायती राज विभाग
   - पटना प्रमंडल के सभी जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिलो में क्रमशः 97, 64, 63, 137, 107 एवं 148 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 90, 55, 60, 132, 104 एवं 146 PSB का हस्तांतरण हो चुका है, जिसमें से 07, 09, 03, 05, 03 एवं 02 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त जिलो के DPRO कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिलो में क्रमशः 89, 55, 60, 132, 104 एवं 146 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 88, 55, 60, 132, 104 एवं 146 में RTPS केन्द्र, 64, 17, 10, 48, 36 एवं 14 में डाकघर, 09, 08, 12, 00, 11 एवं 82 में NOFN एवं 44, 10, 23, 40, 26 एवं 62 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। पटना के 53 एवं कैमुर के 28 PSB में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि संबंधित BPRO के माध्यम से निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिलो में क्रमशः 97, 64, 63, 137, 107 एवं 148 निर्मित पंचायत

सरकार भवन के विरूद्ध 52, 34, 34, 97, 61 एवं 117 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव DPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में संबंधित BPRO के माध्यम से 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– पटना प्रमंडल के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिलो में क्रमशः 14, 18, 19, 32, 11 एवं 39 PSB के विरूद्ध 06, 11, 19, 23, 04 एवं 22 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। भोजपुर, बक्सर एवं पटना जिले के 04–04 एवं रोहतास के 02 पंचायतों में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। सभी जिलो में कुल 25 पंचायतों में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचायत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया कि क्रमशः बक्सर में 03 एवं 10, कैमुर में 03 एवं 02, नालंदा में 04 एवं 01, पटना में 02 एवं 26 तथा रोहतास में 03 एवं 04 पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध है। इस संदर्भ में पूर्व में भी समीक्षा की गयी परंतु आशातीत प्रगति नहीं हो पा रही है। सभी DDC को निदेश दिया गया कि प्रत्येक 15 दिनों पर LAEO एवं BCD के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– पटना प्रमंडल के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिले में क्रमश 25, 08, 29, 12, 70 एवं 06 पंचायतो में व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से मात्र 12, 05, 27, 08, 32 एवं 03 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है

लगातार.....

कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(ड़) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1 एवं 2) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन का BPRO के द्वारा पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल में डाटा की प्रविष्टि नहीं की जा रही है। निदेशित किया गया कि 02 दिनों के अन्दर पोर्टल पर डाटा इन्ट्री कराना सुनिश्चित करेंगे।

(च) मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 14180 दिनांक– 05.10.2026 द्वारा पंचायत सरकार भवनो में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत रूप से दिशा–निर्देश संसूंचित किया गया है। उक्त के आलोक में DPRO को निदेश दिया गया कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– पटना प्रमंडल के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिले में क्रमशः 43, 19, 16, 24, 54 एवं 19 पंचायतों में तकनीकी सहायक द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से भोजपुर में 43, कैमुर में 16, नालंदा में 24, पटना में 54 एवं रोहतास में 19 पंचायतो में ही व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भोजपुर के 24, नालंदा के 10, पटना के 12 एवं रोहतास के 03 पंचायतो में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– पटना प्रमंडल के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में रोहतास में 307, बक्सर में 52, पटना में 583, भोजपुर में 141, कैमुर में 143 एवं नालंदा में 50 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि सभी BPRO के माध्यम से एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है।

लगातार.....

विभागीय दिशा--निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के 24 घंटे के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार

ज्ञापांकः– 2प|वि०–17–43|2024 15679 **/पं०रा० पटना, दिनांक** 4/11 **/2026**

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर, बक्सर, कैमुर, नालंदा, पटना एवं रोहतास, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 2प|वि०–17–43|2024 15679 **/पं०रा० पटना, दिनांक** 4/11 **/2026**

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर **लगातार.....** आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/11/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 2प|वि०–17–43|2024 15679 **/पं०रा० पटना, दिनांक** 4/11 **/2026**

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4/11/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव